



उत्तराखण्ड राज्य

समान नागरिक संहिता (UCC) - नियमावली उत्तराखण्ड, 2025

समानता

द्वारा

समरसता

समान
नागरिक संहिता
उत्तराखण्ड, 2024



- परिचय
- नियुक्तियाँ एवं कर्तव्य
- विवाह, विवाह विच्छेद और विवाह की अकृतता का पंजीकरण
- इच्छापत्र रहित मृतक संबंधी/ इच्छापत्रीय उत्तराधिकार
- सहवासी संबंध (Live-In)
- प्रकीर्ण (Miscellaneous) प्रावधान
- यूसीसी के क्रियान्वयन की कार्ययोजना

यूसीसी (UCC) की यात्रा



08 फरवरी 2024

यूसीसी पर विशेषज्ञ समिति का गठन

भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम अनुमोदित

राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियम अनुमोदित

27 मई 2022 को गठन, रिपोर्ट 02 फरवरी 2024 को प्रस्तुत

12 मार्च 2024

यूसीसी नियामवली समिति का गठन

यूसीसी उत्तराखण्ड अधिनियम, 2024

08 मार्च 2024

14 फरवरी 2024 को गठन, रिपोर्ट 18 अक्टूबर 2024 को प्रस्तुत

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित

यूसीसी नियम

समान नागरिक संहिता नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025



विवरण व दायरा




लागू



संपूर्ण क्षेत्र पर लागू



बाहर रहने वाले उत्तराखण्ड निवासियों



लागू नहीं


- संविधान के अनुच्छेद 342 व अनुच्छेद 366(25) के तहत अनुसूचित जनजातियों।
- भाग XXI के तहत संरक्षित प्रथागत अधिकार वाले व्यक्तियों/समूहों।

- परिचय
- नियुक्तियाँ एवं कर्तव्य**
- विवाह, विवाह विच्छेद और विवाह की अकृतता का पंजीकरण
- इच्छापत्र रहित मृतक संबंधी/ इच्छापत्रीय उत्तराधिकार
- सहवासी संबंध (Live-In)
- प्रकीर्ण (Miscellaneous) प्रावधान
- यूसीसी के क्रियान्वयन की कार्ययोजना

नियुक्तियाँ एवं कर्तव्य (1/5)



रजिस्ट्रार जनरल - सचिव स्तर का अधिकारी एवं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन



★ स्टांप और पंजीकरण अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार और उप-रजिस्ट्रार पहले की तरह कार्य करेगे।

नियुक्तियाँ एवं कर्तव्य (2/5)

रजिस्ट्रार जनरल के मुख्य कर्तव्य



निष्क्रियता पर कार्रवाई:

- यदि रजिस्ट्रार तय समय (Tatkal/सामान्य) में कार्रवाई न करे → मामला ऑटो-फॉरवर्ड।
- संक्षिप्त जांच करवाकर - प्रमाण-पत्र जारी या अस्वीकृति आदेश।



अपील का निपटारा (Appeals)

- रजिस्ट्रार/सब-रजिस्ट्रार के आदेशों के विरुद्ध अपीलें 60 दिन के भीतर निपटाना।
- सुनवाई, दस्तावेजों की जाँच तथा तर्कसंगत आदेश जारी करना।

रजिस्ट्रार के मुख्य कर्तव्य



सब-रजिस्ट्रार की निष्क्रियता:

- तय समय में यदि सब-रजिस्ट्रार कार्रवाई न करे → मामला ऑटो-फॉरवर्ड।
- संक्षिप्त जांच पूरी करेगा और प्रमाण-पत्र जारी या अस्वीकृति करेगा।



अपील का निपटारा (Appeals)

- सब-रजिस्ट्रार के अस्वीकृति आदेश पर आवेदक द्वारा की गई अपील का 60 दिन में निपटारा।



पुलिस को सूचना:

- Live-In - नियमों के उल्लंघन या विवाह हेतु क़ानूनन प्रतिबंधित स्थितियों में पुलिस को सूचना देना।


नियुक्तियाँ एवं कर्तव्य (4/5)

सब-रजिस्ट्रार के मुख्य कर्तव्य

संक्षिप्त जांच (Summary Inquiry):



- सभी दस्तावेजों व जानकारियों की सत्यता की जांच - समय-सीमा: सामान्यतः 15 दिन (Tatkal में 3 दिन)।
- आवेदक से 5 दिन के अंदर (Tatkal में 24 घंटे) कोई जानकारी/स्पष्टीकरण माँग सकते हैं।



अस्वीकृति के आधार:

- अवैध विवाह (उम्र कम, पूर्व विवाह विद्यमान, प्रतिबंधित संबंध, आदि), जाली/भामक दस्तावेज़ या जानकारी। समय पर जानकारी न देना।



जुर्माना/पुलिस सूचना -

- समय पर मेमोरेंडम/आवेदन न देने या नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना/पुलिस को सूचना।
- विवाह जानकारी सत्यापित होने पर, सूचना माता-पिता/अभिभावकों को देना।

नियुक्तियाँ एवं कर्तव्य (5/5)

आवेदकों (Registrants) के कर्तव्य



समय पर आवेदन जमा करना -

- दस्तावेज़ नियत **समय-सीमा** में जमा करना।
- विलंब होने पर **लेट फीस** या **जुर्माना** जमा करना।



अतिरिक्त जानकारी देना: रजिस्ट्रार/सब-रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार जनरल की माँग पर निर्धारित समय में जानकारी देना।




जानकारी अपडेट करना: जानकारी में परिवर्तन होने पर **ऑनलाइन अपडेट** करना।

- परिचय
- नियुक्तियाँ एवं कर्तव्य
- विवाह, विवाह विच्छेद और विवाह की अकृतता का पंजीकरण
- इच्छापत्र रहित मृतक संबंधी/ इच्छापत्रीय उत्तराधिकार
- सहवासी संबंध (Live-In)
- प्रकीर्ण (Miscellaneous) प्रावधान
- यूसीसी के क्रियान्वयन की कार्ययोजना

विवाह, विवाह विच्छेद और विवाह की अकृतता का पंजीकरण (1/4)

विवाह पंजीकरण



विवाह, विवाह विच्छेद और विवाह की अकृतता का पंजीकरण (2/4)

विवाह पंजीकरण व अभिस्वीकृति



- 1 आवेदन में अनिवार्य जानकारी - नाम, आधार, जन्म-तिथि, पता, फोन, e-mail, तिथि, समारोह का प्रकार, गवाहों व पिछली वैवाहिक/लिव-इन स्थिति के दस्तावेज़ ।
- 2 प्रक्रिया - ऑनलाइन: Aadhaar लॉगिन, दस्तावेज़ अपलोड करना
ऑफलाइन: Form-1 + दस्तावेज़, सब-रजिस्ट्रार को जमा करना
- 3 फीस व लेट फीस - समय पर आवेदन: सामान्य फीस,
विलंब पर लेट फीस
Tatkal सेवा (3 दिन में निपटान) के लिए अतिरिक्त शुल्क

★ बहुपत्नी विवाह (Polygyny) — यह प्रावधान सिर्फ़ पहले से मौजूद बहुपत्नी शादियों के लिए लागू होगा
(only acknowledgement – No registration)

विवाह, विवाह विच्छेद और विवाह की अकृतता का पंजीकरण (3/4)

तलाक/विवाह शून्यता का पंजीकरण

1. डिक्री का वर्गीकरण

- कोड लागू होने से पहले/बाद,
- राज्य के अंदर/बाहर पारित डिक्री

2. आवेदन में अनिवार्य जानकारी

- विवाह पंजीकरण/अभिस्वीकृति नंबर (यदि उपलब्ध), तलाक/शून्यता की डिक्री का विवरण (अदालत, केस नंबर, अंतिम आदेश की तिथि), बच्चों का विवरण (यदि हों), कोर्ट के अंतिम आदेश की कॉपी

3. प्रक्रिया

- ऑनलाइन: Aadhaar लॉगिन।
- ऑफलाइन: Form-2 + दस्तावेज़ → सब-रजिस्ट्रार के समक्ष पेश करना।

1. फीस व लेट फ्रीस - समय पर आवेदन पर सामान्य फीस, विलंब होने पर अतिरिक्त लेट फ्रीस।

विवाह, विवाह विच्छेद और विवाह की अकृतता का पंजीकरण (4/4)

आवेदकों के अधिकार

1

यदि सब-रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार समय पर कार्रवाई नहीं करता तो **ऑनलाइन शिकायत दर्ज** की जा सकती है।

2

सब-रजिस्ट्रार के अस्वीकृति आदेश पर → **रजिस्ट्रार** के पास **अपील (30 दिन)**

3

रजिस्ट्रार के अस्वीकृति आदेश पर → **रजिस्ट्रार जनरल** के पास **अपील (30 दिन)**

4

अपील **ऑनलाइन पोर्टल/ऐप** के माध्यम से दायर हो सकेगी।

- परिचय
- नियुक्तियाँ एवं कर्तव्य
- विवाह, विवाह विच्छेद और विवाह की अकृतता का पंजीकरण
- इच्छापत्र रहित मृतक संबंधी/ इच्छापत्रीय उत्तराधिकार**
- सहवासी संबंध (Live-In)
- प्रकीर्ण (Miscellaneous) प्रावधान
- यूसीसी के क्रियान्वयन की कार्ययोजना

इच्छापत्र रहित मृतक संबंधी/ इच्छापत्रीय उत्तराधिकार (1/3)

अविवर्ति उत्तराधिकार (Intestate Succession)

- संपत्ति का वितरण:** कोड की धारा 49-60 के अनुसार।
- विधिक उत्तराधिकारी (Legal Heir) की घोषणा:** 18 वर्ष से अधिक आयु + साउंड माइंड वाला व्यक्ति अपनी संपत्ति के संभावित उत्तराधिकारियों की सूची घोषित कर सकता है।
- घोषणा का प्रमाण-पत्र:** सब-रजिस्ट्रार सिर्फ़ यह प्रमाणित करता है कि अमुक व्यक्ति ने अमुक लोगों को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया।

विधिक उत्तराधिकारी घोषित करने की प्रक्रिया

- ऑनलाइन आवेदन:** Aadhaar लॉगिन + गवाहों एवं आवेदक की वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड।
- समयबद्धता:** यदि अधिकारी अतिरिक्त जानकारी माँगें, तो 5 दिन में जवाब देना; पता या अन्य विवरण बदलने पर 30 दिन में अपडेट करना।

इच्छापत्र रहित मृतक संबंधी/ इच्छापत्रीय उत्तराधिकार (2/3)

वसीयत आधारित उत्तराधिकार (Testamentary Succession)

1. वसीयत (Will) व कॉडिसिल (Codicil) का ऑनलाइन पंजीकरण: टेस्टेटर स्वयं या किसी अधिकृत एजेंसी की मदद से कर सकता है।

2. तीन तरीके:

- पोर्टल पर फ़ॉर्म भरना,
- हस्तालिखित/टाइप्ड वसीयत अपलोड करना,
- 3 मिनट की वीडियो में वसीयत बोलकर अपलोड।

3. कॉडिसिल, रद्दीकरण, पुनर्जीवन: वसीयत में संशोधन/रद्दीकरण/दोबारा लागू करना - ऑनलाइन संभव।

4. दो गवाह अनिवार्य; गवाहों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी ज़रूरी।

★ स्टांप और पंजीकरण अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार और उप-रजिस्ट्रार पहले की तरह कार्य करेगे।

इच्छापत्र रहित मृतक संबंधी/ इच्छापत्रीय उत्तराधिकार (3/3)

टेस्टेटर, उत्तराधिकारी, कार्यकारी (Executor) के अधिकार

- टेस्टेटर:** वसीयत बनाना, बदलना, रद्द करना, पुनर्जीवित करना; “अंतिम वसीयत” घोषित करना।
- कार्यकारी/उत्तराधिकारी:** टेस्टेटर की मृत्यु के बाद मृत्यु प्रमाणपत्र देकर **वसीयत रजिस्टर** करना; **वसीयत की प्रति** लेना।
- Deemed Registration:** टेस्टेटर - **वसीयत जमा** कराई और फैसला होने से पहले **मृत्यु** - वसीयत जमा की तारीख से - **पंजीकृत** (यदि जाँच सही)।


अपील का अधिकार

- सब-रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार का रिजेक्शन:** 30 दिन में क्रमशः रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार जनरल के पास ऑनलाइन अपील।
- ऑनलाइन पोर्टल/एप** पर अपील।

प्रमुख बिंदु

- परिचय
- नियुक्तियाँ एवं कर्तव्य
- विवाह, विवाह विच्छेद और विवाह की अकृतता का पंजीकरण
- इच्छापत्र रहित मृतक संबंधी/ इच्छापत्रीय उत्तराधिकार
- सहवासी संबंध (Live-In)**
- प्रकीर्ण (Miscellaneous) प्रावधान
- यूसीसी के क्रियान्वयन की कार्ययोजना

सहवासी संबंध (Live-In) (1/2)



1. पंजीकरण की प्रक्रिया

- साझे आवास (Shared Household) हो तो सीधे पंजीकरण प्रमाण-पत्र (संक्षिप्त जाँच के बाद)
- आवास न हो तो पहले प्रोविजनल सर्टिफ़िकेट (30 दिन वैध, 15 दिन तक बढ़ाव) और फिर आवास का प्रमाण देकर पूर्ण पंजीकरण।

सहवासी संबंध (Live-In) (2/2)

2. समाप्ति (Termination)

- एक या दोनों साथी ऑनलाइन/ऑफलाइन - लिव-इन संबंध समाप्त कर सकते हैं। यदि एक ही साथी आवेदन करे, तो रजिस्ट्रार दूसरे साथी की पुष्टि करके ही इसे स्वीकार करेगा।
- यदि महिला गर्भवती हो तो रजिस्ट्रार को सूचना अनिवार्य, बच्चे के जन्म पर 30 दिन में अपडेट करना।

3. शुल्क (Fees) - लिव-इन (old and new) जोड़े के लिए पंजीकरण शुल्क, termination शुल्क, और विलंब शुल्क (यदि लागू) का भुगतान करना होगा।

4. अधिकार व कर्तव्य

- शिकायत:** रजिस्ट्रार की निष्क्रियता होने पर रजिस्ट्रार जनरल को ऑनलाइन शिकायत।
- अपील:** अस्वीकृति आदेश मिलने पर 30 दिन में ऊपरी प्राधिकारी (रजिस्ट्रार → रजिस्ट्रार जनरल) के समक्ष अपील।
- बच्चों की देखभाल/रखरखाव:** बाल-हित से जुड़े विवाद या माँगें उसी न्यायालय में दाखिल की जाएँगी जो पंजीकरण क्षेत्र से संबद्ध है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय
- नियुक्तियाँ एवं कर्तव्य
- विवाह, विवाह विच्छेद और विवाह की अकृतता का पंजीकरण
- इच्छापत्र रहित मृतक संबंधी/ इच्छापत्रीय उत्तराधिकार
- सहवासी संबंध (Live-In)
- प्रकीर्ण (Miscellaneous) प्रावधान**
- यूसीसी के क्रियान्वयन की कार्ययोजना

प्रकीर्ण (Miscellaneous) प्रावधान

1

पंजीकरण के आँकड़े सभी को उपलब्ध करना।

2

निजी विवरण केवल सहमति से ही साझा हो सकेगी।

3

पहली बार झूठी शिकायत पर चेतावनी, दूसरी एवं तीसरी पर जुर्माना।

4

जुर्माना/दंड की वसूली - 45 दिन में भुगतान अनिवार्य, भूमि राजस्व से वसूली।

5

ऑनलाइन शिकायत (वेब-पोर्टल/ऐप) → 45 दिन में निष्कर्ष।

6

प्रमाणित कॉपी - ऑनलाइन आवेदन + तय फीस, सीमित सूचना के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त अर्जी की ज़रूरत।

7

लिव-इन (Live-In) प्रमाण पत्र होने पर मकान मालिक “शादी नहीं हुई” कहकर इनकार नहीं कर सकता।

- परिचय
- नियुक्तियाँ एवं कर्तव्य
- विवाह, विवाह विच्छेद और विवाह की अकृतता का पंजीकरण
- इच्छापत्र रहित मृतक संबंधी/ इच्छापत्रीय उत्तराधिकार
- सहवासी संबंध (Live-In)
- प्रकीर्ण (Miscellaneous) प्रावधान
- यूसीसी के क्रियान्वयन की कार्ययोजना

- ✓ ऑनलाइन आवेदन के लिए **पोर्टल** (ucc.uk.gov.in) - नागरिकों एवं अधिकारियों के लिये विकसित।
- ✓ कॉमन सर्विस सेंटर (**CSC**) को **Training Partner** के रूप में नामित।
- ✓ सुचारू क्रियान्वयन व प्रशिक्षण के लिए **प्रत्येक ज़िलों** में नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं।
- ✓ अधिकारियों के लिए **प्रशिक्षण कार्यक्रम** 09.01.2025 - 20.01.2025 - **सभी विकासखंडों** में।
- ✓ सहायता और तकनीकी परामर्श हेतु आईटीडीए में **हेल्पडेस्क (1800-180-2525)** स्थापित।
- ✓ विधिक प्रश्नों के समाधान हेतु **अभियोजन विभाग** के जिला स्तरीय अधिकारी नियुक्त।
- ✓ सभी तैयारी जांचने के लिए **21 जनवरी** को **राज्यव्यापी मॉक-ड्रिल** का आयोजन।
- ✓ नागरिक जागरूकता और अधिकारियों की सुविधा के लिए **Short Video** एवं **Booklets** तैयार किए गए हैं।


यूसीसी के क्रियान्वयन की कार्ययोजना (2/2)



99%
ब्लॉक स्तर का प्रशिक्षण
पूर्ण

1953
अधिकारी प्रशिक्षित

10,000
21.01.2025 तक
वी०एल०ई० प्रशिक्षित करने
की योजना।



यूसीसी पोर्टल की प्रमुख विशेषताएँ

The screenshot shows the homepage of the National e-Governance Portal. At the top, there's a header with the portal's name in English and Hindi, along with the date 'जनवरी, 2024'. Below the header is a navigation bar with tabs for 'Citizen', 'CSC', and 'Officer'. A 'UCC Login ID' and 'Password' input field are present, along with a 'Login' button and links for 'Register here' and 'Forgot your password? Reset here'. To the right of the login form is a vertical list of languages supported by the portal, including English, Assamese, Bengali, Odia, Goan Konkani, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Santali, and Sindhi. The main content area features a banner with the text 'समाज नागरिक सेविता' and 'उत्तराखण्ड, 2024'.

This screenshot displays a grid of service categories on the YousiSri Portal. Each category has a small icon and a link to 'यहां करें आवेदन >'. The categories are:

- प्राप्ति (Prapti)
- मरीदे (Maride)
- सेवाएं (Sevayen)
- प्रमाण पत्र (Praman Patra)
- स्थाईकरण (Sthayikaran)
- प्रपत्र विवरण अदालत करें (Praptr Vivaran Adalat Karo)
- अपीलें (Appeals)
- शिक्षायतें (Shikshayat)
- सुनवाइयाँ (Sunvaiyai)
- अधिसूचनाएँ (Adhisuchanae)
- विवाह का पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की स्वीकृति (Vivah ka Panjikaran/Panjikrit Vivah ki Swikriti)
- आधिकारिक तौर पर अपनी शादी को ऑनलाइन पंजीकृत करें (Aadikarik Thor par Apni Shadi ko Online Panjikrit Karo)
- विवाह विच्छेद/विवाह की निर्धकता का पंजीकरण (Vivah-Vichched/Vivah ki Nirdhakta ka Panjikaran)
- लिव-इन रिलेशनशिप की समाप्ति (Liv-In Relationship ki Samapti)
- कानूनी उत्तराधिकारियों की ओत उत्तराधिकार-पोषण (Kanuni Uttradhikariyaon ki Oot Uttradhikar-Poshan)
- वरीयतनामा उत्तराधिकार-वरीयतों का पंजीकरण (Variyatanama Uttradhikar-Variyatoon ka Panjikaran)


At the bottom left, there's a link 'डेमो उपयोगकर्ता' with the number 'प्रौद्योगिकी-241113-00001'.

- Cloud-Based Portal (NIC): आपदा

पुनर्प्राप्ति (Disaster Recovery) की सुविधा स्थापित।

- Aadhaar Enabled: सत्यापन व लॉगिन।
- Bhashini AI : 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में स्वतः अनुवाद की सुविधा।

- 13 विभागों/सेवाओं के साथ एकीकृत (API): जन्म/मृत्यु रजिस्ट्रेशन, जिला/उच्च न्यायालयों आदि जैसी सेवाओं से डेटा-संबंधी समन्वय।



समानता
द्वारा
समरसता



समाज नागरिक संहिता

उत्तराखण्ड, 2024

धन्यवाद